>

Title: Need to include Rajasthani Language in the Eight Schedule to the Constitution of India.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं।

महोदय, केन्द्र सरकार ने एक कानून पास किया - राइट टू एजुकेशन एक्ट। इस एक्ट की धारा 29(2एफ) में यह प्रावधान किया कि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में दी जाएगी। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे प्रदेश में मातृभाषा राजस्थानी है और उस भाषा को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो भारत सरकार द्वारा यह जो राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया गया है, उसकी धारा 29 (2एफ) में जो प्रावधान किया गया है, उसका अनुपालन कैसे हो सकता है? मैं आपके माध्यम से कहन चाहता हूं कि पिछले सत्र में भी भोजपुर और राजस्थानी को मान्यता देने का मुद्दा आया। श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी यहां बैठे हैं, इन्होंने 18 दिसंबर, 2006 को इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि हम भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को महापात्रा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 14वीं लोक सभा में ही मान्यता दिलाएंगे। 14वीं लोक सभा का कार्यकाल पूरा हो गया, 15वीं लोक सभा का भी दूसरा साल बीतने वाला है, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान सहित पूरे संसार में हम 10 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी पढ़ाई जाती है, विदेशों में, शिकागो विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दे रहे हैं, यह बहुत दुख की बात है। क्या भोजपुरी और राजस्थानी मान्यता पाने की पात्रता रखती हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए आपने महापात्रा कमेटी बनाई, उस कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि जितने प्रस्ताव गृहमंत्रालय के पास लंबित हैं, उनमें सिर्फ भोजपुरी और राजस्थानी, दो ही भाषाएं मान्यता पाने का हक रखती हैं, उसके बावजूद भी भोजपुरी और राजस्थानी को मान्यता नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी राजस्थानी को मान्यता दिलाएं जिससे राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपने जो प्रावधान किया है, उसका पालन हो सके। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं।